न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी का नाम – गोपाल परिहार आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 04/2025

अन्तर्गत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 29.09.2025

सरकार जरिये अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ।

प्रार्थी – आवेदक

बनाम

बृजेश मिश्रा पुत्र श्री अवध बिहारी मिश्रा (मालिक एवं विक्रेता)
मैसर्स मिश्रा होटल
एन.एच. 8 सावरदा, मौजमाबाद, दूदू,
जिला जयपुर , राजस्थान – 303348
निवासी 2 सुराणा नगर, ब्यावर वार्ड नम्बर 22, जिला अजमेर

अप्रार्थीगण – अभियुक्त

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51 एफएसएसए 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51 एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011 सरकार जरिये अवधेश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार है: –

1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 1505.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक प.5(01)चि. स्वा./ग्रुप–3/2023 दिनांक 13.03.2024, दिनांक 30.06.2024 एवं दिनांक 27.09.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया है।
2. यह है कि श्री नरेन्द्र सिंह राठौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पदस्थापन उनके मूल पद पर हो जाने के कारण श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने आदेश क्रमांक एफएसएसए/2025/730 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह राठौर के एफएसएसएक्ट 2006 के बकाया प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए जिनकी प्रति संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर पर पहुँचा। वहां पर बृजेश मिश्रा पुत्र अवध बिहारी मिश्रा उपस्थित थे। मैंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर बृजेश मिश्रा ने स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बृजेश मिश्रा से वर्ष 2024 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय पंजीयन पत्र, स्वयं के आधार कार्ड एवं की छायाप्रति प्रस्तुत की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह कि नरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मिश्रा होटल एन.एच. 8 सावरदा, मौजमाबाद, दूदू, जयपुर पर विक्रेता की दूकान का निरीक्षण करने पर फ्रीज में रखे स्टील कंटेनर में लगभग 11 किलोग्राम Curd आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु रखे हुये थे। जिसमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा पर वास्ते नमूना जांच हेतु 01 किलोग्राम Curd खरीदकर उसकी कीमत 300/रूपये विक्रेता नवरतन बृजेश मिश्रा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री सैसू सिंह एवं श्री ओमप्रकाश भॉवरिया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर बृजेश मिश्रा ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता नवरतन जैन को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह कि नरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम Curd को एकरूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की चौडे मुंह की बोतल दिखाकर उक्त खरीदशुदा 01 किलोग्राम Curd को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर कर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फॉर्मलिन की 20–20 बूंदे डालकर बोतलों को एयरटाइट बंद किया गया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाए, और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN – 3971 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN – 3971 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फॉर्म नं. छः की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की।

8. यह कि नरेन्द्र सिंह राठौर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र कमांक एफएसएसए/2025/552 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1942/एक्ट/2024/1895 दिनांक 27.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ Curd सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट संलग्न है।

9. यह कि श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक एफएसएसए/2025/730 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा आवेदक अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर द्वितीय को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

10. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रावली श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को वास्ते अनुमति प्रस्तुत की। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। जिस पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड Curd विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत हे।

11. उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया व साक्ष्य सबूत/जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व मौखिक निवेदन किया कि श्रीमान् जी मेरे द्वारा दूधिये से दूध क्रय करने के पश्चात दही जमाया गया था। दूध की फैट कम होने से ही दही जमाने पर Curd में मिल्क फैट कम होना पाया गया है। Curd में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है, जॉच रिपोर्ट अनुसार मानव स्वास्थ्य पर भी विपरित प्रभाव पडता हो ऐसा नहीं पाया गया है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी समस्त कार्यवाही को निरस्त किया जावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के मौखिक कथनों का अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशें से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रक्रियानुसार की गई है तथा अप्रार्थी द्वारा विक्रय के उद्देश्य से

अतिरिक्त जिला कलक्टर

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के मौखिक कथनों का अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशें से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रकियानुसार की गई है तथा अप्रार्थी द्वारा विकय के उद्देश्य से रखे खाद्य पदार्थ Curd के नमूने में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी श्री बृजेश मिश्रा (विकेता एवं मालिक) मैसर्स मिश्रा होटल से वक्त निरीक्षण जब्त किया गया Curd नमूना जॉच में सब स्टेण्डर्ड पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा Curd खाद्य पदार्थ का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(11) का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना प्रावधान के तहत अप्रार्थी पर 2000/रू. अक्षरे दो हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय दिनांक 29.09.2025 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू